## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1.अपील संख्या —642 / 2014 / बीकानेर 2.अपील संख्या —643 / 2014 / बीकानेर 3.अपील संख्या —644 / 2014 / बीकानेर मैसर्स दुर्गा दाल मिल, रानी बाजार, बीकानेर

....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत—बी, बीकानेर

.....प्रत्यर्थी.

## <u>एकलपीठ</u> श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित ::

श्री सुरेश ओझा, अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उप राजकीय अभिभाषक

......अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.04.2015

निर्णय

अपीलार्थी, व्यवहारी द्वारा उक्त तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी,वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 08.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जो अपील संख्या 187 से 189/आरवेट/बीकानेर/2013—14 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त—बी,बीकानेर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26 एवं 55 के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2007—08 से 2009—10 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 08.05.2013 के जरिये कर मुक्त माल पर ली गई आई टी सी को अस्वीकार कर निम्न तालिका के अनुसार रिवर्स कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है, को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है:—

अ.स.	वर्ष	कर मुक्त बिकी	रिवर्स कर	ब्याज	योग
642 / 14	2007-08	1781327 / -	16918 / —	11162/-	28080 / -
643/14	2008-09	1956745 / -	19440 / —	10500 / -	29940 / -
644 / 14	2009—10	2530522/-	26452 / —	11108/-	37560 / -

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलीार्थी व्यवहारी ने साबुत दाल से दाल एवं चूरी कोरमा का विनिर्माण कर विकय करता है। अलोच्य अवधियों में 2007-08,2008-09 एवं 2009-10 में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर मुक्त माल पर

## -2-अपील संख्या -642 से 644/2014/बीकानेर

अधिनियम के अनुसार आगत कर का क्लेम किया है, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने क्लेम किये गये आगत कर को रिवर्स कर दिया है। अपीलार्थी व्यवहारी का मुख्य उत्पाद मोठ दाल निर्माण करने का है तथा मोठ चूरी उसका सहउत्पाद है। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दाल एवं चूरी कोरमा का निर्माण किया जाता है जिसमें चूरी कोरमा पशु आहार होने से कर मुक्त है। उक्त इनपुट टैक्स केंडिट को रिवर्स किये जाने एवं उस पर आरोपित ब्याज के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त तीन अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने संयुक्त आदेश दिनांक 08.01.2014 पारित कर रिवर्स टैक्स एवं उस पर आरोपित ब्याज को यथावत रखते हुए अपीलें अस्वीकार की हैं। अपीलीय अधिकारी के संयुक्त आदेश दिनांक 08.01.2014 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओकर से उक्त तीनें। अपीलीं प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मोठ खरीद कर उससे मोठ दाल का निर्माण किया जाता है, जो अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य है, लेकिन उससे जा चूरी प्राप्त होती है वह पशु आहार है तथा कर मुक्त है। अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या करते हुए अपीलार्थी पर रिवर्स कर एवं व्याज आरोपित किया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विनिर्माण में प्रयुक्त कीत कच्चे माल के कुल कीत मूल्य पर, इनपुट टैक्स केडिट का लाभ विधिक प्रावधानानुसार ही क्लेम किया गया था। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि इस संबंध में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स केडिट को अनुपातिक रूप से रिवर्स कर, करारोपण करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये गये, जिसके संक्षिप्त अंश निम्नानुसार हैं :—

The provision of section 18 is applicable only when the assessee purchased the goods for partly manufacturing of churi and partly for manufacturing of dal here the assessee is manufacturing of dal only, therefore, the ratio of the section in no ase is applicable.

With due respect and regard it will be worthwhile to submit here that Hon'ble Rajasthan High Court, though considered the legal aspect but the fact in respect of the word used for the purpose is not dealt with. The very much factor in respect of the case is regarding the purpose, in case of the assesse the purposes of raw material was for the purpose of manufacturing and not for the purpose of manufacturing the exempted item on which the tax has been reversed.

The Hon'ble High Court has, in the case M/s Durgeshwari Food Product, completely overlooked the crucial significance of the words "for

the purpose of", which clearly and unequivocally indicate that the test to be applied under section 18 of RAVT for deciding whether input TAx Credit is to be allowed or not is the purpose of purchase of the input material. Such input materials can only be said to have been purchased for the purpose of use in the manufacture of the tax-free waste product which inevitably comes into existence in the course of manufacture of the final end product.

The High Court failed to appreciate that section 18 has to be construed by applying the purpose test i.e. the purpose of purchase of the input raw materials.

The High Court failed to appreciate that raw materials cannot possibly be said to have been purchased for the manufacture of a waste product, which inevitably comes into existence in a manufacturing process.

The High Court failed to appreciate that the concluding portion of section 18 referred twice specifically to the purpose of purchase of the input raw materials.

The High Court failed to appreciate that the concluding portion of section 18 applied only to a situation where the raw material in question is purchased for the purpose of manufacture of two final end products, one of which is taxable and the other is not.

In this respect I further want to draw your kind attention towards the judgment of MP High Court delivered in case of M/s Ruchi Soil Industries Ltd. State of MP and others date 05-12-13. The Judgment of Hon'ble M.P. High Court delivered is squarely applicable in case of the assessee in the same set of circumstances, though the judgment is a judgment of another High Court and the jurisdictional High Court is having different view but principle laid known therein should have been applied and followed in case of assesse. The judgment of High Court is after considering the judgment of Rajasthan High Court. Therefore, it is humbly prayed that the appeal of the assesse may kindly be accepted.

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधिनियम की धारा 18(1)(e) व 18(1)(g) के नीचे अंकित प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इन्पुट टैक्स केडिट, कर योग्य कच्चे माल के क्रय पर, कर मुक्त माल के विक्रय के अतिरिक्त, कर



योग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त हुये माल पर एवम् इससे उत्पादित कर योग्य माल के राज्य में व अन्तर्राज्यिक विकय पर उत्पन्न कर दायित्व पर ही देय है । कथन किया कि प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस अनुपात में कच्चे माल का प्रयोग कर, कर योग्य माल का विनिर्माण होता है उसी अनुपात में इन्पुट टैक्स केंडिट का लाभ अनुज्ञेय है। इसके अतिरिक्त बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में ऊपर वर्णित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि की विस्तृत विश्लेषण कर, यह अवधारित किया है कि अधिनियम की धारा 18(1)(e) के विधिक प्रावधानों के मद्देनज़र उक्त न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त राज्य पक्ष का ही समर्थन करते हैं। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त प्रोद्धरित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 18(1)(e) व 18 (1)(g) के नीचे अंकित विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से विनिर्मित, कर मुक्त माल "चौकर" की बिक्री के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय होना अवधारित कर, "रिवर्स— टैक्स" की मांग राशि को विधिसम्मत होना अवधारित किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में कच्चा माल के खरीद मूल्य पर क्लेम किये गये कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल चूरी के विकय मूल्य के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गयी है। इसी प्रकार देय कर राशि जमा कराये जाने के अभाव में ब्याज का समर्थन कर, कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित है, जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से की गई है। अन्ततः, विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, विभागीय अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्षय बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवम् उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टात का ससम्मान अध्ययन किया गया तथा अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधनों का गहन अध्ययन किया गया । इस संबंध में रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अविध में कर मुक्त माल चूरी का विक्रय किया गया है एवम् उक्त विक्रय के कर मुक्त होने के कारण, इस संबंध में क्लेम किये गये इन्पुट टैक्स केडिट का लाभ प्रत्यर्थी व्यवहारी को देय नहीं है । जैसािक अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधान है एवम् अधिनियम की धारा 18(1)(g) के नीचे अंकित निम्न प्रावधान अतिमहत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:— "...........however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section." इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समान बिन्दुओं पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि महत्वूपर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रोद्धित विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों की विस्तृत विश्लेषण कर, अधिनियम की धारा 18(1) के संबंध में मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड के प्रकरण में इनपुट टैक्स क्रेडिट की देयता के संबंध में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की है:—

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the leanned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय कर बोर्ड की समन्वयपीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1224/2008/बूंदी मैसर्स बुंगे इण्डिया प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि का अनुसरण कर निर्णय दिनांक

## <u>-6-अपील संख्या -642 से 644 / 2014 / बीकानेर</u>

22.03.2012 पारित किया गया है । इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के प्रोद्धित निर्णयों में प्रतिपादित विधि से हस्तगत विवादित प्रकरण पूर्णतया आच्छादित है। अतः ऐसी स्थिति में, हस्तगत विवादित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धित न्यायिक दृष्टांत 32 टैक्स अपडेट 03 व खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1224/2008/बूंदी में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अपीलीय अधिकारी द्वारा "रिवर्स—टैक्स" व अनुवर्ती ब्याज मांग राशियों की पुष्टि करना पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। अतः उक्त बिन्दुओ पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपीलें अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।

( सुनील शर्मा )